| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.न. 16/2025<br>गयालाल बनाम राज. सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28/05/2025 | पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली के रजि शुमार हो। नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>Sd/-<br>उपखण्ड अधिकारी<br>उच्चैन (भरतपुर) | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 16 / 2024

1.गयालाल
2.गोपाल
3.हरीदत्त
पुत्रान नंदले समस्त जाति धाकड निवासी मुढेरा तह0 उच्चैन। .....प्रार्थीगण

**बनाम**

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0
2.श्रीमान भू—प्रबन्ध अधिकारी अधिकारी भरतपुर जिला भरतपुर।
3.तारावती पत्नि रामसहाय धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

**उपस्थिति**

1.श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट

**दिनांकः—28.05.2025**

**निर्णय**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख.नं. नया 66 / 0.17 हेक्टेयर बाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त खसरा नंबर का पुराना खसरा नंबर 1133 / 53 / 1.01 मिन है। उक्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण हैं। आराजी खसरा नंबर नया 67 / 0.17 इसका पुराना खसरा नंबर 1134 / 53 / 1.01 विस्वा है बाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार प्रतिवादी संख्या तीन तारावती है। उक्त आराजी बंध(रास्ते) के खसरा नंबर 97 के सहारे स्थित है। हम वादीगण अपने खसरा नंबर 66 जो कि बंध(रास्ते) के खसरा नंबर 97 से लेकर लंबवत पीछे तक तरफ दक्षिण तथा प्रतिवादी संख्या तीन अपने खसरा नंबर 67 जो कि बंध(रास्ते) के खसरा नंबर 97 से लेकर लंबवत पीछे तक तरफ उत्तर पर अपने पूर्वजों के समय से ही आज तक लगातार मौके पर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं। दौराने सेटलमेंट कर्मचारियों ने हम पक्ष कारान की बिना सहमति के मौके के विपरीत राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में गलत अंकन कर दिया है। कर्मचारियों ने मौके की स्थिति को नजर अंदाज कर मनमर्जी तरीके से बंध(रास्ते) के खसरा नंबर 97 की तरफ प्रतिवादी 03 के खसरा नंबर 67 को तथा इसके पीछे वादीगण के खसरा नंबर 66 को नक्शा में दर्शाया है जो कि गलत व गैरकानूनी है। क्योंकि उक्त खसरा नंबर 66, 67 का पुराना खसरा नंबर 53 था जो शामिल काश्त था। इसलिए राजस्व नक्शा में कर्मचारियों द्वारा की गई गलत तरमीम को मौके के अनुसार शुद्ध कराया जाना आवश्यक हो गया है। बाबत नक्शा में राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई अशुद्धी को शुद्ध करने बाबत वादीगण ने दिनांक 30.05.2024 को राजस्व कर्मचारियों से मिलकर निवेदन किया लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि न्यायालय से आदेश करा कर लाओ। इसलिए वादीगण द्वारा उक्त प्रकरण पेश किया जाना लाजिमी हो गया है। उक्त मामला जमीन जायदा दी है तथा पक्ष कारों के मध्य भविष्य में कभी भी वदनीयत वावत झगड़ा हो सकता है। तथा राजस्व कर्मचारियों की गलती का खामी आज हम पक्ष कारों को भुगतना पड़ सकता है । इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाव पेश किया गया प्रार्थना पत्र नक्शा में शुद्धी बाबत मद संख्या 01 लगायत 09 में प्रार्थी गण की ओर से दर्ज कराए गए सभी तथ्य सही हैं व स्वीकार हैं। उक्त आराजी खसरा नंवर 66 व 67 की मौके पर स्थित पूर्व से ही नजरी नक्शा के मुताबिक है जिसमें उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 03 एवं दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण काबिज हैं। उक्त मौके की स्थिति को दौराने वंदोवस्त सेटलमेंट विभाग ने विना हम पक्षकार खातेदारों की सहमति के बदल दिया है जो कि गलत व गैरकानूनी है। इसलिए न्याय हित व हम दोनों पक्षकारों का खातेदारों के हित में आराजी खसरा नंवर 66 व 67 वाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन बाबत राजस्व नक्शा में हो रही अशुद्ध तरमीम को मौके के अनुसार शुद्ध फरमाए जाने के आदेश जारी किये जावे। तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जवाव अनुसार आराजी खसरा नंबर 66 रकबा 0.17 हेक्टेयर खसरा नंवर 67 रकवा 0.17 हेक्टेयर वाके ग्राम मुढेरा जिसका पुराना खसरा नंबर 53 है में से भू प्रवंध विभाग द्वारा अलग–अलग करते हुए वनाया गया है। आराजी खसरा नंबर 66 रकवा 0.17 हेक्टेयर वाके ग्राम मुढेरा हाल जमावंदी संवत 2075–2078 खातेदार गयालाल गोपाल हरिदत्त पिसरान नंदले जाति धाकड़ सा देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 गयालाल गोपाल हरिदत्त पीएनवी शाखा उच्चैन का खसरा नंवर 67 रकवा 0.17 हेक्टेयर बाके ग्राम मुढेरा हाल जमाबंदी संवत 2075–2078 अनुसार तारादेवी पत्नी रामसहाय जाति धाकड़ सा देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौके की स्थिति अनुसार खसरा नंबर 66 रखवा 0.17 हेक्टेयर से संबंधित खातेदार दक्षिण दिशा की तरफ काबिज काश्त है। जबकि खसरा नंबर 67 रकवा 0.17 हेक्टेयर से संबंधित खातेदार उत्तर दिशा की तरफ काबिज काश्त है। क्योंकि उक्त खसरा नंबर भू प्रबंध विभाग द्वारा पूर्ण खसरा नंबर 53 में से बनाए गए हैं। एवं ग्राम मुढेरा के पुराने नक्शा लट्ठा में खसरा नंबर 53 में कोई भी तरमीम आदिनांक तक नहीं है। अतः उक्त स्थिति रिकॉर्ड अनुसार द्वंदात्मक प्रतीत होती है। मौके पर काबिजकाश्त बिन्दु संख्या 03 अनुसार है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण अभिभाषक ने निवेदन किया कि दौराने सेटलमेंट कर्मचारियों ने हम पक्ष कारान की बिना सहमति के मौके के विपरीत राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में गलत अंकन कर दिया है। कर्मचारियों ने मौके की स्थिति को नजर अंदाज कर मनमर्जी तरीके से बंध(रास्ते) के खसरा नंबर 97 की तरफ प्रतिवादी 03 के खसरा नंबर 67 को तथा इसके पीछे वादीगण के खसरा नंबर 66 को नक्शा में दर्शाया है जो कि गलत व गैरकानूनी है। क्योंकि उक्त खसरा नंबर 66, 67 का पुराना खसरा नंबर 53 था जो शामिल काश्त था। इसलिए राजस्व नक्शा में कर्मचारियों द्वारा की गई गलत तरमीम को मौके के अनुसार शुद्ध कराया जाना आवश्यक हो गया है। आराजी ख0 नं0 66, 67 बाके

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन बावत् राजस्व नक्शा में हो रही अशुद्धि तरमीम को मौके के अनुसार शुद्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं जबाब प्रतिवादी संख्या 03 एवं जवाब तहसीलदार का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ सैटलमेंन्ट से पूर्व का कोई भी राजस्व नक्शा या अन्य कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है जिसके की यह सावित हो सके की सैटलमेंन्ट पूर्व प्रार्थीगण की आराजी किस दिशा में स्थित थी। क्योंकि उक्त खसरा नंवर 66, 67 का पुराना खसरा नंबर 53 था। उक्त खसरा नंवर भू प्रवंध विभाग द्वारा पूर्ण खसरा नंवर 53 में से बनाए गए हैं एवं ग्राम मुढेरा के पुराने नक्शा लट्ठा में खसरा नंवर 53 में कोई भी तरमीम आदिनांक तक नहीं है। यह प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में कहा गया कि पुराना ख0 नं0 शामिल काश्त था। अतः यह स्पष्ट नहीं कर सके कि चाही गई दादरसी सैटलमेण्ट कर्मचारियों की गलती के कारण उत्पन्न हुई है जिससे प्रार्थी अपने नक्शे को दुरस्त करा पाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहे हैं।

**अतः आदेश हैः—**

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)